यह निरीक्षण प्रतिवेदन **खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर नैनीताल** के माह 04/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.12.2018 से 17.12.2018 श्री टी.एस. नेगी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः मार्च 2013 में माध्यमिक और बेसिक के पुनर्गठन के पश्चात माध्यमिक की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** इकाई द्वारा मुख्यतः खंड के हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेजों में शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन एवं अनुश्रवण करना।

3. इकाई द्वारा जिला योजना द्वारा प्रदत्त धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं कोषागार द्वारा प्रदत्त धनराशि से शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		समपर्ण राशि	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	---	---	26.68	25.16	118.99	95.62	24.89	---
2016-17	---	---	28.37	26.81	59.56	59.58	1.64	---
2017-18	---	---	36.77	36.66	41.75	41.64	0.22	---

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	----------------शून्य--------------			
2016-17				
2017-18				

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं राज्य से प्राप्तियों के रूप मे अलग अलग नहीं रखे जाते है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “सी” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न है।

<u>शिक्षा सचिव</u>

↓

महानिदेशक

निदेशक मा.शि.	निदेशक प्रा.शि.
↓	↓
अपर निदेशक मा.शि.	अपर निदेशक प्रा.शि.
↓	↓
जनपद-मुख्य शिक्षा अधिकारी	जनपद-मुख्य शिक्षा अधिकारी
↓	↓
जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
↓	↓
खण्ड शिक्षा अधिकारी माध्यमिक	उप शिक्षा अधिकारी माध्यमिक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा में खंड के हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेजों में शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन एवं अनुश्रवण करना का कार्य क्षेत्र आता है। लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर नैनीताल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015, 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। छात्रवृत्ति योजना साइकिल वितरण, खंड में कक्ष का निर्माण का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर-1 चयनित माह 03/2015 के रु 27.13 लाख के बाउचरों का सत्यापन न कराया जाना

वित्तीय नियमावली के अनुसार इकाई को प्रत्येक माह के बिल बाउचर रखे जाने चाहिये तथा उनका सत्यापन कराया जाना चाहिये। किन्तु लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने पर माह 03/2015 के निम्नांकित बिल बाउचर सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

बिल सं0	सकल राशि	कटौती की राशि	शुद्ध भुगतानित राशि
31303	207926/-	35900/-	172026/-
31303	33686/-	5200/-	28486/-
91403	98572/-	42703/-	55869/-
31603	743595/-	185546/-	558049/-
61503	749789/-	140698/-	609091/-
22	5498/-	-----	5498/-
23	27837/-	---	27837/-
27	11750/-	----	11750/-
24	30000/-	-----	30000/-
25	13626/-	----	13626/-
26	659/-	-----	659/-
26	11750/-	----	11750/-
32	3454/-	-----	3454/-
28	4791/-	----	4791/-
33	4889/-	-----	4889/-
36	3056/-	----	3056/-
30	2365/-	-----	2365/-
04	3325/-	----	3325/-
03	2967/-	----	2967/-
35	51300/-	----	51300/-
48	8746/-	----	8746/-
39	10690/-	----	10690/-
41	11750/-	----	11750/-
44	650/-	-----	650/-
04	54150/-	----	54150/-
42	5421/-	----	5421/-
37	4611/-	----	4611/-
36	5077/-	-----	5077/-
49	1000/-	----	1000/-
40	1974/-	----	1974/-
38	1071/-	----	1071/-
47	982/-	----	982/-

40	4555/-	----	4555/-
42	3161/-	----	3161/-
07	51300/-	----	51300/-
39	4830/-	----	4830/-
38	11749/-	----	11749/-
41	4034/-	----	4034/-
40	1060/-	----	1060/-
06	28500/-	---	28500/-
43	11100/-	---	11100/-
38	11750/-	----	11750/-
98	11750/-	-----	11750/-
99	11750/-	----	11750/-
100	3454/-	----	3454/-
12	62700/-	----	62700/-
67	2869/-	----	2869/-
66	892/-	----	892/-
70	98000/-	---	98000/-
69	75000/-	---	75000/-
68	75000/-	----	75000/-
78	75000/-	---	75000/-
79	75000/-	---	75000/-
74	75000/-	----	75000/-
72	75000/-	----	75000/-
73	75000/-	----	75000/-
82	1223/-	---	1223/-
83	1419/-	----	1419/-
81	3904/-	----	3904/-
77	54000/-	----	54000/-
85	97735/-	----	97735/-
कुल राशि	3123687/-	410047/-	2713640/-

मांगे जाने पर बताया गया कि जुलाई 2015 मे कार्यालय अन्य जगह से स्थानांतरण के कारण अभिलेख इस कार्यालय मे मिल नहीं पा रहे है । कार्यालय के उत्तर मान्य नहीं है क्योकि बिल बाउचर एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। जिसके सुरक्षित रखने कि ज़िम्मेदारी पूर्णता विभाग कि होती है।

अतः रु 27.13 लाख के बाउचरों का सत्यापन न कराये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- साइकिल वितरण योजना मे रु 4.70 लाख के वितरण राशि का उपभोग प्रमाण पत्र न लिया जाना।

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साइकिल) योजना के अंतर्गत राज्य के शासकीय/अशासकीय विद्यालयो मे अध्यनरत कक्षा 9 की बालिकाओ को मुफ्त साइकिल सुविधा एवं पर्वतीय क्षेत्रों की बालिकाओ को साइकिल के क्रय मूल्य के समतुल्य धनराशि दिये जाने का प्रावधान था। जनपदवार आबंटित धनराशी के उपभोग के बाद यथासमय निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना था।

अभिलेखो की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 मे माह 05/2017 मे रु 4.70 लाख उक्त योजना हेतु खंड को प्राप्त हुई थी। जिसका आबंटन खंड द्वारा जून 2017 मे 27 विद्यालयो को किया गया। किन्तु वर्तमान तक उक्त विद्यालयो से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

पूछने पर बताया गया कि उपभोग प्रमाण पत्र विद्यालयो से प्राप्त नहीं है जिसको प्राप्त कर आतिशीघ्र कार्यवाही कर दी जायेगी ।

इकाई का उत्तर स्वतः इस तथ्य की पुष्टि करते है कि खंड द्वारा रु 4.70 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने कि कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः रु 4.70 लाख के उपभोग प्राप्त न लिये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 0.57 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान

शासनादेश 290/XXVII/(7)50/2008 दिनांक 28/12/2016 के अनुसार सातवे वेतन आयोग में कार्मिकों की वेतन निर्धारण 31/12/2015 के स्थिति के अनुसार वेतन निर्धारम किया जाना चाहिये एवं पैरा 11(3) के अनुसार जिन कार्मिकों की वेतन वृद्धि 01 जनवरी से 30 जून है की बीच की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नत या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जायेगी और ऐसे कार्मिक जिनकी वेतन वृद्धि 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच वेतन वृद्धि है के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी।

श्रीमति निर्मला वोहरा खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर की सेवा पुस्तिका में (date of increment july थी) दिनांक 31.12.2015 को देय वेतन (18730+4200= 22930) थी। सेवा पुस्तिका की नमूना जांच करने पर यह पाया गया कि 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण वेतन निर्धारण दिनांक 31.12.2014 वेतन (18060+4200= 22260) स्थिति के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है।

त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के कारण माह 12/2015 से माह 11/2018 तक वेतन एवं भत्तों पर कम भुगतान किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण लिपिकीय त्रुटि होने के कारण वेतन कम आहारित किया जा रहा है।

अतः प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर	भाग-II 'ब' प्रस्तर	Stan
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोतम कार्य

--------------शून्य-----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. मार्च 2016 के पूर्व के अभिलेख

3. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	अवधि
1	श्री एम सी पाठक	04.02.2013 से 30.03.2013
2	श्री आशा राम निराला	31.03.2013 से 05.04.2013
3	श्री हरक राम कोहली	06.04.2013 से 22.04.2013
4	श्री अशोक कुमार वर्मा	23.04.2013 से 09.04.2014
5	श्री सुरेन्द्र कुमार भारती	09.04.2014 से 12.01.2015
6	श्री अशोक कुमार मिश्रा	12.01.2015 से 27.01.2015
7	श्री उर्वा दत्त पाण्डेय	27.01.2015 से 16.07.2015
8	श्री सुरेन्द्र प्रताप भारती	16.07.2015 से 01.09.2015
9	श्री आशा राम निराला	02.09.2015 से 18.10.2015
10	श्री उर्वा दत्त पाण्डेय	18.10.2015 से 20.11.2015
11	श्री आशा राम निराला	20.11.2015 से 11.02.2016
12	श्री भास्करानंद पाण्डेय	11.02.2016 से 10.11.2016
13	श्रीमती निर्मला वोहरा	11.11.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) “महालेखाकार भवन” कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा. क्षे.